

फा.सं. ए-12023/1/2024 प्रशासन I (ई-23812)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

प्रथम तल, चंद्र लोक बिल्डिंग,

36 जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक 29 अगस्त, 2024

परिपत्र

विषय: मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (123100- 215900/-रु) में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) के एक पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर भर्ती के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (123100-215900) के स्तर 13 में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद की रिक्ति परिपत्र की अंतिम तिथि/समापन तिथि को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से या रोजगार समाचार में रिक्ति के विज्ञापन की तारीख से, जो भी बाद में हो, 60 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

2. पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, बायोडेटा प्रोफार्मा जैसे अन्य विवरण के लिए आदि, आवेदकों को इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.dof.gov.in) पर जाने की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त पद पहले ही 9-15 मार्च, 2024 और 15- 21 जून, 2024 के रोजगार समाचार में विज्ञापन संख्या ए-12023/1/2024 प्रशासन I के तहत विज्ञापित किया जा चुका है। जिन उम्मीदवारों ने विगत रिक्ति परिपत्र के जवाब में पहले ही पद के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।



(कृष्ण पाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-2331 0374

ई-मेल: admn-fishries@dof.gov.in

सेवा में :

- 1.राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी निदेशक
2. मत्स्यपालन विभाग के सभी अनुभाग/इकाइयों/डेस्क

3. डीएचडी विभाग के सभी अनुभाग/इकाइयां/डेस्क
4. आईसीएआर मत्स्य विज्ञान संस्थानों के प्रमुख
5. मत्स्यपालन विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय
6. निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

फा.सं. ए-12023/1/2024 प्रशासन । (ई-23812)

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

प्रथम तल, चंद्र लोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक 27 फरवरी, 2024

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के मुख्य सचिव।
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
4. सभी राज्य सरकारों के मत्स्य पालन विभागों से संबंधित आयुक्त/सचिव।
5. विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
6. सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त निकायों/सांविधिक संगठनों/मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थों के निदेशक।

विषय: मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली में लेवल 13 में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद को भरने के संबंध में

महोदय/महोदया,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (123,100-2,159,500) में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) का एक पद केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या सांविधिक संगठनों या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) भरे जाने का प्रस्ताव है:

(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

या

(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में लेवल 12 (78800-209200/- रु.) पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखना:

आवश्यक:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या एम.एफ.एस.सी. या समुद्री जीव विज्ञान में एम.एस.सी. या औद्योगिक मात्स्यिकी में एम.एस.सी. या जलीय कृषि में एम.एस.सी. या मात्स्यिकी विज्ञान में एम.एस.सी.;
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से मात्स्यिकी (अंतर्देशीय या समुद्री या जलीय कृषि) के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें मात्स्यिकी और व्यापार या मत्स्य स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए विकास योजनाओं का प्रबंधन, नीति और योजना, निर्माण और निगरानी शामिल है।

वांछनीय योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को दृष्टिगत वर्ष से अधिक नहीं होगी। चयनित अधिकारी का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

4. पात्र अधिकारियों से आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों में) में उचित माध्यम से अवर सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, प्रथम तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001 को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पिछले 5 वर्षों के अद्यतन एपीएआरएस, मूल रूप में या फोटोकॉपी के साथ अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और अधिकारी पर उसकी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाए गए प्रमुख/लघु दंड का प्रमाण पत्र के साथ

भेजा जाना चाहिए। कैडर नियंत्रण प्राधिकारी यह भी प्रमाणित कर सकते हैं कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं।

5. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र या एपीएआरएस के बिना प्राप्त आवेदन पत्र या उम्मीदवारों द्वारा दावा की गई योग्यता और अनुभव के समर्थन में सहायक प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन पत्र या अन्यथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र का उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

भवदीय

कृष्ण पाल

(कृष्ण पाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफ़ोन: 011-2331 0374

ईमेल आईडी: krishan.p13@nic.in

सेवा में :

1. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन निदेशक
2. मत्स्यपालन विभाग के सभी अनुभाग/इकाइयाँ/डेस्क
3. डीएएचडी विभाग के सभी अनुभाग/इकाइयाँ/डेस्क
4. मत्स्यपालन विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय
5. निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

कृष्ण पाल

(कृष्ण पाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफ़ोन: 011-2331 0374

ईमेल आईडी: krishan.p13@nic.in

फा.सं. ए-12023/1/2024 प्रशासन I (ई-23812)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

प्रथम तल, चंद्र लोक बिल्डिंग,

36 जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक 3 जून, 2024

परिपत्र

विषय: मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (123100- 215900/-रु) में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) के एक पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर भर्ती के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (123100-215900) के स्तर 13 में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद की रिक्ति परिपत्र की अंतिम तिथि/समापन तिथि को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से या रोजगार समाचार में रिक्ति के विज्ञापन की तारीख से, जो भी बाद में हो, 60 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

2. पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, बायो-डेटा प्रोफॉर्मा आदि जैसे अन्य विवरणों के लिए, आवेदकों को इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.dof.gov.in) पर जाने की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त पद पहले ही 9-15 मार्च, 2024 के रोजगार समाचार में विज्ञापन संख्या ए-12023/1/2024 प्राशासन I के तहत विज्ञापित किया जा चुका है। जिन उम्मीदवारों ने विगत रिक्ति परिपत्र के जवाब में पहले ही पद के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।



(कृष्ण पाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-2331 0374

ई-मेल: admn-fishries@dof.gov.in

सेवा में :

1. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन निदेशक
2. मत्स्यपालन विभाग के सभी अनुभाग/इकाइयाँ/डेस्क
3. डीएएचडी विभाग के सभी अनुभाग/इकाइयाँ/डेस्क
4. आईसीएआर मत्स्य विज्ञान संस्थानों के प्रमुख
5. मत्स्यपालन विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय
6. निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

जीवन वृत्त/करीकुलम वाइटे प्रोफॉर्मा

1.नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2. जन्मतिथि (ईसवी सन में)	
3. (i) सेवा में आने की तारीख	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार की नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.शैक्षणिक अर्हता	
5.क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं पूरी होती हैं(यदि किसी अर्हता को इस नियमावली में विनिर्दिष्ट अर्हता के समतुल्य माना गया हो तो उसके प्राधिकारका उल्लेख करें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित अर्हता/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क)अर्हता	क)अर्हता
ख)अनुभव	ख)अनुभव
एच्छक	एच्छक
क)अर्हता	क)अर्हता
ख)अनुभव	ख)अनुभव
<p>5.1 नोट:इस कॉलम कोप्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालयके द्वारा भर्ती नियमावली में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को दर्शाने के लिए उस समय बढ़ाए जाने की जरूरत होगी जब परिपत्र और विज्ञापन को रोजगार समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा हो।</p> <p>5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में चयनित/मुख्य विषयों और सहायक विषयों कोअभ्यर्थीद्वारा दर्शाया जाना चाहिए।</p>	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा दी गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनजर आप इस पद के लिए अनिवार्य अर्हताओं और कार्य के अनुभव को पूरा करते हैं।	
<p>6.1 नोट: आदाता विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी के द्वारा धारित अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव (जैसा कि जीवनवृत्त में दर्शाया गया है) की अभिपुष्टि की दृष्टि से अपनी विशिष्ट टिप्पणी/राय दें।</p>	

7. रोजगार का ब्यौरा, क्रमिक रूप से। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो आप अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित अलग से पृष्ठ लगा सकते हैं।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	नियमित आधार पर पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तार से) जिसमें आवेदित पद के लिए

					आवश्यक अनुभव पर प्रकाश डाला गया है

*महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत दिया गया पे-बैंड और ग्रेड-पे अधिकारी का निजी मामला है। अतः इसका उल्लेख न करें। केवल नियमित आधार पर धारित पद के पे-बैंड और ग्रेड-पे/वेतनमान का ही उल्लेख करें। वर्तमान पे-बैंड और ग्रेड-पे में एसपी/एमएसीपी, जहां कि अभ्यर्थी ने यह लाभ लिया हो, को इस प्रकार नीचे दर्शाया जा सकता है।

कार्यालय/संस्थान	ACP/MACP योजना के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति जैसे कि तदर्थ या अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी या स्थायी			
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधारित है तो कृपया बताएं			
क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि	ग) अभ्यर्थी के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में धारित मूल पद का नाम और वेतन
9.1 नोट: पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदन को उनके मूल केंद्र/विभाग द्वारा केंद्र क्लियरेंस, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।			
9.2 नोट: कॉलम 9(ग) और (घ) से संबंधित जानकारी उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें ऐसा व्यक्ति केंद्र/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किए हो लेकिन अपने मूल केंद्र और संगठन में धारणाधिकार बनाए रखा हो।			

10. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई पद प्रतिनियुक्ति के रूप में ग्रहण किया गया हो, अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य विवरण।	
11. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण: जिन संगठनों के साथ काम किया है, कृपया उनका विवरण दें (सुसंगत कॉलम के समक्ष नियोक्ता के नाम इंगित करें) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड.) विश्वविद्यालय	

च)अन्य		
12.कृपया बताएं कि क्या आप एक ही विभाग में काम कर रहे हैं या फीडर ग्रेड में हैं या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।		
13. क्या आप संशोधित पे-स्केल में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं और संशोधन पूर्व स्केल को भी इंगित करें।		
14. वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे प्रति माह कुल भत्ते		
वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड पे	कुल मेहनताना
15.यदि आवेदक ऐसे किसी संगठन से संबद्ध है, जिसने केंद्र सरकार के वेतनमान को लागू नहीं किया है तो, उस संगठन के द्वारा जारी अंतिम वेतन स्लिप जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया हो, संलग्न की जाए।		
मूल वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि की दर	मंहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरा सहित)	कुल परिलब्धियां
16 (क)अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जोकि आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो। (इसमें अन्य बातों के अलावा (i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण (iii) कार्य अनुभव, जोकि इस रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित से अतिरिक्त हो) (नोट: यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न कर सकते हैं)		
16 (ख) उपलब्धियां: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में जानकारी दें: i. शोध प्रकाशन और रिपोर्ट्स तथा विशेष प्रोजेक्ट्स ii. पुरस्कार/छात्रवृत्ति/सरकारी प्रशस्ति पत्र iii. व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/समितियों से संबद्धता iv. अपने नाम से पंजीकृत या संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट्स v. कोई शोध/अभिनवीन कार्य जिसमें सरकारी मान्यता की बात शामिल हो। vi. कोई अन्य सूचना (नोट: यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न कर सकते हैं)		
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/समामेलन/पुनर्रोजगार आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं।# (केंद्र/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी केवल "समामेलन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पावधि अनुबंध के लिए पात्र हैं)		

#("एसटीसी"/समामेलन/पुनःरोजगार' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" या "आमेलन" या "पुनःरोजगार" द्वारा भर्ती का उल्लेख किया गया हो)।	
18. क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबन्धित है।	

मैंने इस रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे यह बात अच्छी तरह पता है कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव के बारे में इस करीकुलम वाइटे में दी गई जानकारी और उसके समर्थन में लगाए गए कागजातों की इस पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा जांच की जाएगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी/ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सही और सत्य है और मेरे चयन को प्रभावित करने वाली किसी भी तथ्य सामग्री को छिपाया/रोका नहीं गया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता.....

दिनांक:.....

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

उपर्युक्त आवेदन में आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी/ब्यौरा उपलब्ध तथ्यों/दस्तावेजों के अनुसार सही और सत्य है। ये रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव धारित करते/करती हैं। यदि इनका चयन हो जाता है तो इनको तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

- I. श्रीमती/श्री..... के खिलाफ न तो कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है और न ही इसको चलाने पर विचार किया जा रहा है।
- II. इनकी सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाती है।
- III. इनका मूल सीआर डोजियर संलग्न है। पिछले पांच वर्षों के एसीआर की फोटोप्रतियां भी भारत सरकार के अवर सचिव या इससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित हैं और उनको संलग्न कर दिया गया है।
- IV. पिछले दस वर्षों के दौरान इन पर कोई भी छोटा/बड़ा दंड नहीं लगाया गया है या पिछले दस वर्षों के दौरान इन पर लगाए गए छोटे/बड़े दंड की एक सूची संलग्न है (जैसी भी स्थिति हो)

(प्रतिहस्ताक्षर)

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी मुहर सहित)